

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 1222/165/आउशि/शा-5'अ'/2022

भोपाल, दिनांक 18/10/2022

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय- सत्र 2022-23 के लिये स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में
ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण हेतु महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथि में वृद्धि करने बाबत।

- संदर्भ- (1) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 330/46/सीसी/2022/
अड़तीस, भोपाल, दिनांक 12.05.2022
(2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1025/165/आउशि/शा-5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 25.07.2022
(3) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1159/165/आउशि/शा-5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 02.09.2022
(4) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1247/165/आउशि/शा-5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 30.09.2022

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश की कंडिका 18 के बिन्दु क्रमांक 18.1, 18.1.1, 18.1.2,
18.2 एवं 18.3 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

कंडिका 18 के अनुसार समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष,
तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित
पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय-सीमा में ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल
के माध्यम से सम्पादित किये जाने के निर्देश है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1247-1248/आउशि/शा-5'अ'/2022, भोपाल दिनांक 30.09.2022
के द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रमोट करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.10.2022 निर्धारित की गई है।

अतः स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर ऑनलाइन प्रवेश
नवीनीकरण हेतु प्रमोट करने की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 15.10.2022 में वृद्धि करते हुए दिनांक
31.10.2022 निर्धारित की जाती है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 18/10/2022

पृ. क्रमांक: 1323/165/आउशि/शा.-5'अ'/2022

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक माननपीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी.मॉल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 1225/229/आउशि/शा-5 'अ' /2022,
प्रति,

भोपाल दिनांक: 27/09/2022

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।


विषय:- "मध्यप्रदेश में यातायात प्रबन्धन" विषय पर समीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने
बाबत।

संदर्भ:- वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी समीक्षा दल का पत्र क्रमांक: ए.एम जी-प्रथम/
याता.प्रब/1 दिनांक 20/09/2022

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि प्रधान महालेखाकार
कार्यालय द्वारा म.प्र में यातायात प्रबन्धन विषय पर निष्पादन लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य
दिनांक 19/09/2022 से प्रारंभ किया जाना है। मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2015 की
कंडिका क्रमांक 3.2.1 के अनुसार सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।


अतः आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार के समस्त शासकीय/अनुदान
प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक
यातायात प्रबन्धन के संबंध में आपके क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही
अभिलेखों/आंकड़े सहित संलग्न प्रपत्र में एकजाई जानकारी अकादमी शाखा के ई-मेल
Academy-he@mp.gov.in पर दिनांक 30/09/2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करें।


27/9/22
(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक: 27/09/2022

पृ. क्रमांक 1226/229 /आउशि/शा-5'अ' /2022
प्रतिलिपि:

1. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रपत्र

“मध्यप्रदेश में यातायात प्रबन्धन” विषय पर समीक्षा हेतु अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध कराने विषयक।

सरल क्र	संभाग का नाम	महाविद्यालय का नाम	यातायात प्रबन्धन पर की गई कार्यवाही	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या			रिर्माक
				छात्र	छात्राए	कुल विद्यार्थी	

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक: 1251 / 226 / आउशि / शा-5'अ' / 2022
कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 30 / 09 / 2022

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. सचिव,
निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय- मतदाता पहचान-पत्र (Electors Photo Identity Card) को आधार नंबर से लिंक कराए जाने संबंधी अभियान में सक्रिय सहभागिता के निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने बाबत।

- संदर्भ-(1) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 1286 / 84617 / 2022 / 38-2, दिनांक 14.09.2022
(2) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश कार्यालयीन पत्र क्रमांक ELC / 5 / स्वीप / 2022 / 5329 भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर, 2022

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत मतदाता पहचान पत्र (Electors Photo IdentCard) को आधार नम्बर से लिंक कराये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु महाविद्यालयों में दो छात्र कैम्पसेडर नामांकित करने सहित प्रत्येक महाविद्यालय में Electoral Literacy Clubs (ELCs) का कर शिक्षक नोडल अधिकारी तथा मेंटर शिक्षक (पुरुष-महिला) का नामांकन करते हुए निरंतर बैठक माध्यम से समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में संलग्न प्रारूप में अपेजानकारी दिनांक 07 / 10 / 2022 तक अकादमी शाखा के ई-मेल academy-he@mp.gov.in क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के माध्यम से एकजाई कर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। महाविद्यालयों द्वारा जानकारी सीधे कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित न की जाए। निर्धारण में चाही गई जानकारी समय-सीमा में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे सैय मॉनिटरिंग की कार्यवाही शीघ्र आरम्भ की जा सके।

संलग्न : प्रपत्र एक, दो एवं तीन।

(श्रीरेन्द्र शुक्ल)

विव्यस्थ अधिकारी

उच्च मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, 30 / 09 / 2022

पृ. क्रमांक: 1252 / 226 / आउशि / शा-5'अ' / 2022

प्रतिलिपि-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन भोपाल, मध्यप्रदेश
 2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 4. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विव्यस्थ अधिकारी

उच्च मध्यप्रदेश भोपाल

